बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

संवेदक Dharmendra Kumar Singh (Regd. No- 2220633), Add:- S/O Late Lakshmi Prasad Singh, Vill+P.O-Dubauli, PS-Panapur Dist- Saran, Bihar, Pincode: 841410 को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मढ़ौरा के अधीन MMGSY योजनान्तर्गत पानापुर रसौली पक्की सड़क से नट बस्ती होते हुए नहर तक पथ निर्माण कार्य आवंटित किया गया।

एकरारनामा (एकरारनामा संख्या–08 MMGSY/SBD-2020-21) के अनुसार कार्य प्रारंभ की तिथि 25.06.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 24.06.2021 है। वास्तविक रूप से कार्य समाप्ति की तिथि भी 10.04.2022 है।

एकरानामा के अनुसार एकरारनामा की राशि निर्माण कार्य मद में 59,19,031/– रू0 एवं अनुरक्षण मद की राशि 3,65,998/– रू0 है। साथ ही पथ की कुल लंबाई 0.975 कि0मी0 है परन्तु वास्तविक लम्बाई 0.905 कि0मी0 है।

उक्त एकरारनामा से आच्छादित प्रश्नगत पथ का निर्माण मुखिया/जिला योजना द्वारा किये जाने के उपरांत स्वीकृत रेखांकन के लक्षित बसावट को संपर्कता प्राप्त हो गई, जिसके कारण पुनः उक्त आरेखन पर पथ निर्माण किया जाना उचित नहीं था।

संवेदक Dharmendra Kumar Singh द्वारा एकरारनामा में प्रावधानित लंबाई कुल 0.975 कि0मी0 की लम्बाई में पथ का निर्माण किया जाना था। परन्तु स्वीकृत रेखांकण में अन्य योजनाओं से पथ निर्माण कार्य पूर्ण होने के फलस्वरूप स्वीकृत रेखांकण में मात्र 0.235 कि0मी0 पथ का निर्माण किया गया। स्वीकृत रेखांकण में पथ निर्माण कार्य शेष नहीं रहने की स्थिति में संवेदक द्वारा स्वीकृत रेखांकण की जगह अन्यत्र पानापुर मशरक भाया रसौली पथ के रसौली शिव मंदिर से धनौती सीवाना तक पथ जिसमें Ch-0.00 to 0.305 कि0मी0 पथांश का पथ निर्माण कार्य पूर्व से मुखिया/जिला योजना द्वारा कराया गया है, Ch-0.305 to 0.879 कि0मी0 अर्थात 0.574 कि0मी0 की लम्बाई में तथा इस पथ से निकलने वाली अन्य रेखांकण में 0.166 कि0मी0 की लम्बाई में पथ का निर्माण कार्य कराया गया है। इस तरह संवेदक द्वारा स्वीकृत रेखांकण को परिवर्तित कर दूसरे रेखांकण रसौली शिव मन्दिर से धनौती सीवाना तक कुल 0.74 कि0मी0 की लम्बाई में खुले मैदान(Open Area) में कराया गया, जिससे किसी भी टोला/बसावट को सम्पर्कता प्राप्त नहीं हो रही है।

उक्त कराये गये कार्य के विरूद्ध तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को कुल 39,20,964/– रू0 मात्र का भुगतान (निष्फल व्यय) किया जा चुका है। शेष लंबित राशि एवं उक्त पथ में कराये गये अनुरक्षण कार्य का भुगतान किये जाने हेतु संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC NO-19582/2024, धमेन्द्र कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित है।

एकरारनामा की शर्त्तों का उल्लंघन करके अस्वीकृत रेखांकन पर पथ निर्माण किये जाने के कारण संवेदक Dharmendra Kumar Singh के विरूद्ध बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) की कंडिका 11 (क) (vi) एवं 11 (ख) (ii) में निहित प्रावधान ***"एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक"*** के तहत कार्रवाई

किये जाने के निमित संवेदक से विभागीय पत्रांक 5583 अनु0 दिनांक 27.05.2025, पत्रांक 6227 दिनांक 18.06.2025, 7861 दिनांक 21.07.2025 एवं पत्रांक 9661 अनु0 दिनांक 08.09.2025 द्वारा संवेदक से कारणपृच्छा की गई।

उपर्युक्त वर्णित पत्रों के आलोक में संवेदक द्वारा दिनांक 01.08.2025 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए संदर्भित न्यायिक वाद के माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित रहने का कारण बताते हुए उक्त वाद के निष्पादित होने तक उनके विरूद्ध कार्रवाई न करने का अनुरोध किया गया है।

ज्ञातव्य है, कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC NO-19582/2024, धमेन्द्र कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में संवेदक के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के तहत किसी प्रकार दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने पर कोई रोक (Stay) नही लगाया गया है।

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा संदर्भित मामले में कोई स्थगन आदेश अबतक जारी नहीं किया गया है, जबकि संवेदक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उक्त वाद के लंबित रहने का बहाना बनाते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई नहीं किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा आरोप के बिंदु पर जवाब देने के बजाय मामले को लंबा खींचने का प्रयास किया जा रहा है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक Dharmendra Kumar Singh (Regd. No- 2220633) द्वारा कार्य प्रमंडल, मढ़ौरा के अधीन आवंटित पथ निर्माण में एकरारनामा की शर्त्तों का अनुपालन नहीं करने के कारण बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (ग्रामीण कार्य विभाग) के कंडिका 11(क)(vi) एवं 11(ख)(ii) में निहित प्रावधान के तहत संवेदक को 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

19.11.25

(जय किशोर ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–14–93/2025 11809 /पटना, दिनांकः– 21.11.25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग,/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.11.25

अभियंता प्रमुख

P.T.O.

ज्ञापांक:– 14 / अ0प्र0–14–93 / 2025 11809

प्रतिलिपि:–अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। / पटना, दिनांक:– 21.11.25

19.11.25
अभियंता प्रमुख

निबंधित

ज्ञापांक:–14 / अ0प्र0–14–93 / 2025 11809

प्रतिलिपि:– Dharmendra Kumar Singh (Regd. No- 2220633), Add:- S/O Late Lakshmi Prasad Singh, Vill+P.O-Dubauli, PS-Panapur Dist- Saran, Bihar, Pincode: 841410 को सूचनार्थ प्रेषित। / पटना, दिनांक:– 21.11.25

19.11.25
अभियंता प्रमुख